



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:41078

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 4166/2026

सोनू उर्फ मोहम्मद इमरान राय

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता :- आनन्द कुमार श्रीवास्तव, अनिल कुमार सिंह, अंकुर यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 11

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री यतीन्द्र कुमार अग्निहोत्री तथा अधिवक्ता सुश्री रिंकी देवी को सुना गया, जिन्होंने परिवादी की ओर से उपस्थित होकर अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रस्तुत आवेदन, आवेदक को थाना श्रीदत्तगंज, जनपद बलरामपुर में पंजीकृत वाद अपराध संख्या 27/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के अन्तर्गत जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. उपर्युक्त वाद अपराध दिनांक 10.03.2026 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पंजीकृत किया गया है, जिसमें यह कथन किया गया है कि आवेदक पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से परिवादी से उससे विवाह करने का प्रलोभन देकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाता रहा, किन्तु बाद में उसने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया।

4. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अन्तर्गत अभिलिखित पीड़िता के बयान में उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित कथन को दोहराया है। विवेचक द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर में पीड़िता ने बताया कि उनके मध्य असंख्य अवसरों पर शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे। उसे उन स्थानों का स्मरण नहीं है, जहाँ उनके मध्य शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे, किन्तु जब भी उन्हें अवसर मिला, उन्होंने शारीरिक संबंध स्थापित किए। उसने आवेदक का प्रतिरोध नहीं किया, क्योंकि उसने उससे विवाह करने का आश्वासन दिया था।

5. पीड़िता ने यह कहते हुए चिकित्सीय विधिक परीक्षण कराने से इनकार कर दिया कि उसके साथ कोई दुराचार नहीं हुआ था।

6. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अन्तर्गत अभिलिखित बयान में पीड़िता ने बताया कि उसकी आयु लगभग 20 वर्ष है, उसने कक्षा 12 तक शिक्षा प्राप्त की है, वह पिछले दो वर्षों से आवेदक को जानती है और दोनों के मध्य प्रेम-संबंध विकसित हो गया था। आवेदक ने उसके मस्तक पर सिंदूर लगाया था तथा मोबाइल फोन के माध्यम से तीन बार विवाह के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी। उसने बताया कि उसने आवेदक के साथ अपनी सहमति

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

से शारीरिक संबंध स्थापित किए थे, किन्तु इसके पश्चात आवेदक ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया, जबकि वह अभी भी उससे विवाह करना चाहती है।

7. जमानत आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र में यह कथन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसे वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए यह प्रस्तुत किया है कि विवेचना के दौरान आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई है तथा आरोप-पत्र दिनांक 28.03.2026 प्रस्तुत किया जा चुका है।

8. सूचनाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भी जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए यह कहा है कि आवेदक ने सूचनाकर्ता से विवाह करने का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए और तत्पश्चात उससे विवाह करने से इनकार कर उसके साथ विश्वासघात किया है।

9. उपर्युक्त तथ्यों एवं मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि संबंध प्रारम्भ होने के समय से ही पीड़िता बालिग थी और उक्त संबंध लगभग दो वर्षों तक जारी रहा, जिसके दौरान पीड़िता के कथनानुसार अवसर मिलने पर उसने आवेदक के साथ बार-बार शारीरिक संबंध स्थापित किए; यह कि प्रथमदृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे यह संकेत मिले कि संबंध के प्रारम्भ से ही आवेदक का आशय पीड़िता को धोखा देने का था; यह कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 11.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा विवेचना भी पूर्ण हो चुकी है एवं मामले के गुण-दोष को प्रभावित करने वाली कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा यह मत है कि उपर्युक्त तथ्य आवेदक को उपर्युक्त वाद अपराध में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु पर्याप्त आधार प्रस्तुत करते हैं।

10. तदनुसार, यह जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. आवेदक-सोनू उर्फ मोहम्मद इमरान राय को उपर्युक्त वाद अपराध में संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
- (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा;
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होगा, जब तक कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से उसे छूट प्रदान न की गई हो।

जून 15, 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।